प्राधिकरण की 121वीं बैठक का कार्यवृत्त

25 मार्च, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे हैदराबाद में आयोजित

MINUTES OF THE 121st MEETING OF THE AUTHORITY

held on 25th March, 2023 at 11:00 AM at Hyderabad

उपस्थितः

अध्यक्ष	श्री देवाशीष पण्डा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा
पूर्णकालिक सदस्य	श्रीमती एस एन राजेश्वरी
पूर्णकालिक सदस्य	श्री राकेश जोशी
पूर्णकालिक सदस्य	श्री थामस देवसिया
अंशकालिक सदस्य	श्री सुचीन्द्र मिश्र
अंशकालिक सदस्य	सीए अनिकेत सुनील तलाटी

साथ ही उपस्थितः

पदनामित अधिकारी	श्रीमती बी पद्मजा
बोर्ड सचिवालय	श्री आर. वेंकटेश

Present:

Chairperson	Shri Debasish Panda
Whole-time Member	Shri Parmod Kumar Arora
Whole-time Member	Smt. S N Rajeswari
Whole-time Member	Shri Rakesh Joshi
Whole-time Member	Shri Thomas Devasia
Part-time Member	Shri Suchindra Misra
Part-time Member	CA Aniket Sunil Talati

Also present:

Designated Officer	Smt. B Padmaja
Board's Secretariat	Shri R. Venkatesh

अध्यक्ष ने उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने सीए देवाशीष मित्रा, भूतपूर्व अंशकालिक सदस्य द्वारा प्राधिकरण की चर्चाओं में किये गये मूल्यवान योगदान को अभिलेखबद्ध किया, जिनका कार्यकाल आईसीएआई के अध्यक्ष के रूप में 12 फरवरी, 2023 को समाप्त हुआ। अध्यक्ष ने सीए अनिकेत सुनील तलाटी, आईसीएआई के पदधारी अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत किया जो प्राधिकरण की बैठक में पहली बार उपस्थित हो रहे थे। यह जानने के बाद कि अपेक्षित गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, अध्यक्ष ने बैठक प्रारंभ की।

हाल की विनियामक पहलों के संबंध में अध्यक्ष के द्वारा संक्षिप्त प्रारंभिक टिप्पणियों के बाद, कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया गया।

5. आईआरडीएआई (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023

5.1 बाजार नवोन्मेषण के प्रति अनुक्रियाशीलता में वृद्धि करने तथा बीमाकर्ताओं को नये व्यवसाय माडलों, उत्पादों, कार्यनीतियों के विकास में मदद देने और विनियामक अनुपालनों में सुगमता को समर्थ बनाने एवं बीमाकर्ताओं को वृद्धि संबंधी उनकी अभिलाषाओं और सतत परिवर्तनशील बीमा आवश्यकताओं के आधार पर उनके व्ययों का प्रबंध करने के लिए लचीलापन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 के स्थान पर आईआरडीएआई (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023 जारी करने का प्रस्ताव किया गया। प्रस्तावित विनियमों से यह अपेक्षित है कि बीमाकर्ताओं के पास कमीशन के भुगतान के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति विद्यमान हो, जो अन्य बातों के साथ-साथ पालिसीधारकों के हितों तथा बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों एवं बीमा मध्यवर्तियों के हित पर विचार करती हो।

5.2 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

6. आईआरडीएआई (साधारण और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023

6.1 बीमाकर्ताओं को सकल अंकित प्रीमियम के आधार पर समग्र सीमाओं के अंदर उनके व्ययों का प्रबंध करने के लिए तथा पालिसीधारकों के लिए लाभों में वृद्धि करने हेतु उनके संसाधनों का इष्टतम

तौर पर उपयोग करने में समर्थ बनाने और उन्हें लचीलापन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान आईआरडीएआई साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 के स्थान पर आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023 जारी करने का प्रस्ताव किया गया। प्रस्तावित विनियमों से यह अपेक्षित है कि बीमाकर्ताओं के पास व्यवसाय के संचालन में किफायत लाने, प्रबंधन व्ययों में कमी लाने तथा व्ययों में कमी से और/या प्रत्यक्ष व्यवसाय से लाभों का अंतरण प्रीमियम में कमी के द्वारा पालिसीधारकों को करने के लिए उपायों सहित, उक्त विषयों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति हो।

6.2 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

7. आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023

7.1 बीमाकर्ताओं को सहभागी और लाभरहित स्तर पर समग्र सीमाओं के अंदर उनके व्ययों का प्रबंध करने के लिए तथा पालिसीधारकों के लिए लाभों में वृद्धि करने के लिए उनके संसाधनों का इष्टतम तौर पर उपयोग करने के लिए समर्थ बनाने और उन्हें लचीलापन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 के स्थान पर आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023 जारी करने का प्रस्ताव किया गया। प्रस्तावित विनियमों से यह अपेक्षित है कि बीमाकर्ताओं के पास व्यवसाय का संचालन करने में किफायत लाने, प्रबंधन व्ययों में कमी लाने तथा व्ययों में कमी से और/या प्रत्यक्ष व्यवसाय से लाभों का अंतरण प्रीमियम में कमी के द्वारा पालिसीधारकों के करने के लिए उपायों सहित, उक्त विषयों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति हो।

7.2 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

9. आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019 के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन

9.1 आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019 का विनियम 6 विनियामक सैंडबाक्स के अंतर्गत फाइल किये गये आवेदनों के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अध्यक्ष को सशक्त बनाता है।

विनियम 6(3) (2022 के संशोधनों में निविष्ट) यदि आवेदन पर विचार नहीं किया गया हो तो प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समिति को आवेदन का पुनरीक्षण करने के लिए आवेदन फाइल करने हेतु आवेदक को समर्थ बनाता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उक्त पुनरीक्षण समिति गठित करने के लिए अध्यक्ष को शक्ति का प्रत्यायोजन करने का प्रस्ताव किया गया है।

9.2 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

14. आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 और आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2022 के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन

14.1 परिचालनात्मक कौशल के लिए, आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन, आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 तथा आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2022, जो 5 दिसंबर 2022 को अधिसूचित किये गये थे, के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रस्तावित है। साथ ही, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3(3), 3(4) और 3(5) के अधीन शक्तियों के प्रत्यायोजन का संशोधन आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 के विनियम 12(2) के अधीन प्रस्तावित शक्तियों के प्रत्यायोजन के समान ही करने का प्रस्ताव है, जो पंजीकरण के निलंबन/निरसन से संबंधित है।

14.2 प्राधिकरण ने उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

15. अधिवक्ताओं / विधि फर्मों / वरिष्ठ परामर्शदाताओं की नियुक्ति / पैनल बनाने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएँ तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन

15.1 अदालती मामलों के संबंध में अधिवक्ताओं/विधि फर्मों/वरिष्ठ परामर्शदाताओं की नियुक्ति/पैनल बनाने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं का अनुमोदन प्राधिकरण की 116वीं बैठक में किया गया था। प्रशासनिक विषय होने के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि अध्यक्ष को शक्तियों का प्रतिवर्तन किया जाए।

15.2 प्राधिकरण ने उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

17. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआईएस) की पहचान

17.1 एक वार्षिक व्यवहार के तौर पर डी-एसआईआईएस की पहचान की प्रक्रिया तथा इसके लिए 20 दिसंबर 2019 को आयोजित प्राधिकरण की 107वीं बैठक में यथाअनुमोदित कार्यपद्धति प्रस्तुत की गईं। तदनुसार, संकेतक आधार जिससे संबंधित सम्मिश्र प्राप्तांकों की संगणना की गई तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए डी-एसआईआई के रूप में नामोद्दिष्ट करने के लिए आधार डेटा के तौर पर 15% के प्रारंभिक प्राप्तांक को स्पष्ट किया गया। डी-एसआईआईएस के रूप में निम्नलिखित बीमाकर्ताओं को नामोद्दिष्ट करने का प्रस्ताव हैः

1. भारतीय जीवन बीमा निगम
2. भारतीय साधारण बीमा निगम
3. दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.

17.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

22. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट

22.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित बजट अनुमान प्रस्तुत किये गये।

22.2 प्राधिकरण ने उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शन के साथ बैठक समाप्त हुई।

The Chairperson extended a warm welcome to all the Members present. He placed on record valuable contributions made to the deliberations of the Authority by CA Debasis Mitra, former Part-time Member, whose tenure ended as President of ICAI on 12th February 2023. The Chairperson extended warm welcome to CA Aniket Sunit Talati, the incumbent President of ICAI who is attending the Authority's meeting for the first time. After ascertaining that requisite quorum was present, Chairperson started the meeting.

After brief opening remarks by the Chairperson on recent regulatory initiatives, following agenda items were taken up.

5. IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023

5.1 With the objective to enhance responsiveness to market innovation and facilitate the insurers in development of new business models, products, strategies, and enable ease in regulatory compliances and provide insurers the flexibility to manage their expenses based on their growth aspirations and ever-changing insurance needs, it was proposed to issue IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023 in place of the existing IRDAI (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) Regulations, 2016. The proposed regulations require insurers to have a Board approved policy on payment of commission which inter alia takes into consideration interests of the policyholders and interest of the insurance agents and intermediaries and insurance intermediaries.

5.2 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item.

6. IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2023

6.1 With the objective to enable and provide flexibility to the insurers to manage their expenses within the overall limits based on gross written premium and to optimally utilize their resources for enhancing benefits to policyholders, it was proposed to issue IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health

Insurance Business) Regulations, 2023 in place of the existing IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2016. The proposed regulations require insurers to have a Board approved policy on the matters including, measures to bring cost effectiveness in the conduct of business, reduction of expenses of management and transfer benefits from reduction of expenses and/or from direct business to policyholders by way of reduction in premium.

6.2 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item.

7. IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting Life Insurance Business) Regulations, 2023

7.1 With the objective to enable and provide flexibility to the insurers to manage their expenses within the overall limits at participating and non-participating level and to optimally utilize their resources for enhancing benefits to policyholders, it was proposed to issue IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting Life Insurance Business) Regulations, 2023 in place of the existing IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting Life Insurance Business) Regulations, 2016. The proposed regulations require insurers to have a Board approved policy on the matters including, measures to bring cost effectiveness in the conduct of business, reduction of expenses of management and transfer benefits from reduction of expenses and/or from direct business to policyholders by way of reduction in premium.

7.2 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item.

9. Delegation of Powers of the Authority under IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019

9.1 Regulation 6 of the IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019 empowers the Chairperson to grant permission for applications filed under Regulatory Sandbox. Regulation 6(3) (inserted in 2022 amendments) enables the applicant to file a review application to the committee as specified by the Authority, if the application is not

considered. For administrative convenience, it is proposed to delegate the power to constitute the review committee to the Chairperson.

9.2 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item.

14. Delegation of Powers of the Authority under IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022 and IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2022

14.1 For operational efficiency, delegation of powers is proposed under sub-section (1) of section 23 of IRDA Act, 1999, under the IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022 and IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2022, which were notified on 5th December 2022. Also, delegation of powers under section 3(3),3(4) and 3(5) of the Insurance Act, 1938, are proposed to be revised on the lines of delegation of powers proposed under Regulation 12(2) of IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022 which deals with suspension/cancellation of registration.

14.2 The Authority approved the agenda Item.

15. Standard Operating Procedures for Engagement / Empanelment of Advocates/Law Firms/Senior Counsels and Delegation of Powers

15.1 Standard Operating Procedures for Engagement / Empanelment of Advocates/ Law Firms/ Senior Counsels and Delegation of Powers in respect of court matters was approved in 116th Authority Meeting. Being an administrative matter, it was proposed that powers be reverted to the Chairperson.

15.2 The Authority approved the agenda Item.

17. Identification of Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs)

17.1 The process of identification of D-SIIs as an annual exercise and the methodology to be adopted therefor as approved in 107th Authority meeting held on 20th December, 2019, was presented. Accordingly, indicators basis which relative

composite score is computed and the threshold score of 15% to designate an insurer as D-SII basis data for FY 2021-22 was explained. The following insurers are proposed to be designated as D-SIIs:

1. Life Insurance Corporation of India
2. General Insurance Corporation of India
3. The New India Assurance Co. Ltd.

17.2 After due deliberations, the Authority approved the Agenda Item.

22 Budget for the Financial year 2023-24

22.1 Budget for FY 2023-24 and revised budget estimate for expenditure for FY 2022-23 was presented.

22.2 The Authority approved the agenda item.

The meeting ended with a vote of thanks to all Members.

अध्यक्ष

CHAIRPERSON